(92) (199)

<u>**न्यायालय श्रीमान्** राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 कैम्प</u>

<u>रीवा जिला रीवा (म0प्र0)</u>

R-1380-I/12

जीवनलाल तिवारी तनय श्री लालजी तिवारी उम्र 55 साल निवासी ग्राम मटेहना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 —————— निगराकार

<u>बनाम</u>

1. अनुराग **द्विवेदी तनय श्री** अरुण द्विवेदी साकिन मौधवगढ़ तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

2. अयोध्या प्रसाद तनय श्री जगन्नाथ प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम मटेहना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 ——— गैर–निगराकारगण

अधिवक्ता श्री डी.पी. गर्ग द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि. 03-03-2012

निगरानी खिलाफ आदेश श्रीमान् तहसीलदार साहब रघुराजनगर वृत्त प्रथम सतना दिनांक 23.12.2011 प्रकरण कमांक–7A5/2009–10

मान्यवर,

<u>प्रकरण के तथ्य</u>

1. यह कि आराजी नं0–19, 20 व 21 वाके मौजा मटेहरा तहसील रघुराजनगर निगराकार व गैर–निगराकार नं0–2 की परिवारिक पैत्रिक जायदाद थी जिसमें पारिवारिक हिस्सा बॉट के अनुसार क्रमशः बटे नम्बर–19/1, 19/2, 20/1, 20/2 तथा 21/1 व 21/2 हो गये थे और 19/2, 20/1 निगराकार के नाम तथा 19/1, 20/2 तथा 21 गैर–निगराकार नं0–2 अयोध्या प्रसाद के नाम खसरों में दर्ज हो गई और उस अनुसार दोनों मौके में काबिज हो गए। यद्यपि इस हिस्सा बाट में पक्षकारों में विवाद है जो सिविल न्यायालय में चल रहा है, लेकिन मौके में मुताबिक बटे नम्बर दोनों पक्ष तातस्फिहा बतौर भूमि स्वामी काबिज हुए।

2. यह कि मौके में आराजी नं0–19/1 पश्चिम दिशा से शुरू होती है उसके पीछे पूर्व दिशा में 19/2 तथा उसके पूर्व दिशा में क्रमशः 20/1, 20/2 तथा 21 नम्बर है।

क्रमशः ....2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.1380 II / 2012 जिला–सतना

जीवनलाल तिवारी / अनुराग द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण कुमार पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त प्रथम, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 07 / अ–5 / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम. शर्मा), सदस्य	